सीताराम बनाम चन्दर
मुकदमा संख्या 01/42/2012
निर्णय दिनांक 13.01.2025

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

वाद संख्या :- 01/42/2012 ऑनलाईन नम्बरः-2012/00480 प्रवेश तिथिः-27.02.2012

1. सीताराम राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
2. शिवराम राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
3. हनुमान राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
4. बच्चूराम राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
5. नानगी बेवा आनन्दीलाल राणा जाति राणा उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
6. राकेश राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
7. मोहनलाल राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
8. भौमाराम राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
9. रोशन राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर। ....वादीगण

बनाम

1. चन्दर सिंह अहीर पुत्र मौजीराम अहीर जाति अहीर निवासी ग्राम गोलाकाबास तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर। ....प्रतिवादीगण
2. मांगी देवी पुत्री रामपाल राणा उम्र 36 वर्ष निवासी डेरा तहसील थानागाजी जिला अलवर।परभाती देवी पुत्री श्रवण जाति मीना
3. उगन्ती देवी पूत्री आनन्दीलाल राणा पत्नी सुनील राणा उम्र 25 वर्ष निवासी जयपुर।

............तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा रा0का0अधि0 1955 अन्तर्गत धारा 88, 188

उपस्थितः-- श्री मनीष गुपता एड0-वादी

--:निर्णयः-- दिनांक 13.01.2025

1.आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया जाकर विवादित आराजी का खातेदार घोषित करने एवं हुकमइम्तनाई दवामी से पावन्द करने का निवेदन किया है संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है-

2. हाल आराजी खसरा संख्या 2090/0.45, 2110/0.56, 2112/1.03, 2113/0.73, 2115/0.52, 2116/0.24, 2117/0.69, 2118/0.52, 2119/0.02, जो वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर में अवस्थित है। जिसमें वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 काबिज रिकार्ड खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

प्रकरण में इसी आराजी खसरा संख्या 2114/0.31 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील हला जिला अलवर में स्थित है। जो कि रिकार्ड में असल प्रतिवादी के केवल रिकार्ड में दर्ज है। जबकि मौक पर यह आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में है और वादीगण ही वास्तविक रूप से इस आराजी के रिकार्डेड खातेदार होने चाहिये।

4. यह है कि हाल खसरा संख्या 2090/0.45, 2118/0.52, 2119/0.02, साबिक नम्बर 1183 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, से बना हुआ है। और खसरा संख्या 2110/0.56 2113/0.73 साबिक नम्बर 1190 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा से बने हुये है। इसी प्रकार हाल आराजी खसरा संख्या 2112/1.03 साबिक नम्बर 1184 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा से एव हाल आराजी नम्बर 2116/0.24, 2117/0.69 2118/0.52 साबिक नम्बर 1191 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा से बने हुये है

5. यह है कि साबिक नम्बर 1183 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 1190 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, 1184 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 1191 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा वादीगण की खरीद शुद्वा आराजी है जिसे उन्होनं आराजी पूर्व खातेदारो से रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा खरीद की थी। वादीगण द्वारा आराजी को खरीदने के बाद 20 बीघा 9 बिस्वा पर कब्जा कर लिया और अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लिया। वादीगण खरीदने के बाद से सन् 1991 से इस आराजी पर बेरोकटोक काबिज चले आ रहे है। और यह चारो नम्बर 1183, 1184, 1190, 1191 मौके पर एक ही जगह है जिन्हे साबिक नक्शे में भी एक जगह बताया गया है।

6. यह है कि उपरोक्त साबिक नम्बर 1183, 1184, 1190, 1191 जिसका रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा है इन साबिक नम्बरों के हाल बन्दोबस्त में जो हाल नम्बर 2090/0.45, 2110/0.56, 2112/1.03, 2113/0.73, 2115/0.52, 2116/0.24, 2117/0.69, 2118/0.52, 2119/0.02, कुल किता 9 कुल रकबा 4.76 है0 जो वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर कायम किये गये है इस प्रकार हल बन्दोबस्त में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी का रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कम दर्ज हो गया है। जबकि वादीगण आज भी 20 बीघा 9 बिस्वा आराजी पर बदस्तूर काबिज काश्त कर रहे है।

7. यह है कि हाल आराजी के खसरा संख्या 2114/0.31 जो कि मौके पर वादीगण के कब्जे में है। गलत रूप से हल बन्दोबस्त में असल प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया है। जबकि यह आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के नाम दर्ज होना चाहिये था। हाल आराजी खसरा संख्या 2114/0.31 को साबिक नम्बर 1150 रकबा 8 बिस्वा में बनना बताया गया है।

8. यह है कि साबिक 1150 रकबा 8 बिस्वा साबिक रिकार्ड में भी प्रतिवादी चन्दर सिंह के नाम रिकार्ड में दर्ज थी जिसे उसने दिनांक 08.07.1998 को हजारी–गोपाल पुत्रान कंवरपाल निवासी ग्राम दवाकर तहसील सिकराय जिला दौसा को बेचान कर दी थी जिसके बावत खरीददारों के ना इन्तकाल नम्बर 389 दिनांक 20.12.1982 को मंजुर हो गया। मौके पर यह आराजी 8 बिस्वा आराजी उपरोक्त खरीददारो के कब्जे में है। तो हाल नम्बर 2114/0.31 से प्रतिवादी चन्दरसिंह का कोई सबंध सरोकार नही रहा। लेकिन उसके बावजुद भी बन्दोबस्त विभाग ने हाल आराजी खसरा संख्या 2114/0.31 को गलत रूप से असल प्रतिवादी चन्दर सिंह के नाम दर्ज कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

है कि साबिक नक्शे में साबिक नम्बर 1150 को साबिक नम्बर 1183, 1184, 1190, 1191, से दूर दिखाया गया है जबकि हाल नक्शे में साबिक नम्बर 1150 से बने हाल नम्बर 2114 को वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2113, 2115, 2116 व 2117 के बीच में दिखाया गया है इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2114 को साबिक नम्बर 1150 से बनना गलत रूप से बताया गया है। यह है कि गलत रूप स से हाल खसरा संख्या 2114/0.31 प्रतिवादी संख्या 1 सुन्दर के नाम दर्ज कर देने से साबिक रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा से उनका रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कम दर्ज हो गया है जबकि 2114/0.31 वादीगण के नाम दर्ज होने से वादीगण का साबिक रकबे के हिसाब से पूरा रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा हो जाता है। अन्त में अन्त में दावा वादी स्वीकार कर डिक्री फरमाते हुये वादी ने हाल आराजी खसरा संख्या 2114/0.31 असल प्रतिवादी के नाम गलत रूप से दर्ज हो जाने के कारण वादीगण व तहसीली प्रतिवादीगण का रकबा 0.31 है0 कम दर्ज हो गया जिसे वादीगण दुरुस्त करवाने के एवं अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड वादी व तहसीली प्रतिवादी के विवादित आराजीयात का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे।

10. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण वाद सुचना तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अतः पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने का भी कोई महत्व नही है।

11. प्रकरण में दावे के समर्थन में वादी द्वारा निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये जो निम्न प्रकार है--

नकल जमाबंदी सम्वत् 2065 प्रदर्श–1

नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 प्रदर्श–2

नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3

नक्शा ट्रेस प्रदर्श–4

नकल नामान्तकरण संख्या 389 दिनांक 20.12.1982 प्रदर्श–5

दावे के समर्थन में वादी द्वारा सीताराम Pw-1, मुरलीधर Pw-2 , राजेन्द्र कुमार Pw-3 प्रतिवादी के शपथ पत्र पेश किये जो लेखवद्ध करवाया जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

12. प्रकरण में वहस विद्वान वकील वादी की सुनी गई। दौराने–ए–वहस वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुये निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 2090/0.45, 2110/0.56, 2112/1.03, 2113/0.73, 2115/0.52, 2116/0.24, 2117/0.69, 2118/0.52, 2119/0.02, जो वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर में अवस्थित है। इसी आराजी खसरा संख्या 2114/0.31 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। जो कि रिकार्ड में असल प्रतिवादी के केवल रिकार्ड में दर्ज है। जबकि मौके पर यह आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में है और वादीगण ही वास्तविक रूप से इस आराजी के रिकार्डेड खातेदार होने चाहिये। यह है कि हाल खसरा संख्या 2090/0.45, 2118/0.52, 2119/0.02, साबिक नम्बर 1183 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, से बना हुआ है। और खसरा संख्या 2110/0.56 2113/0.73 साबिक नम्बर 1190 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा से बने हुये है। इसी प्रकार हाल आराजी खसरा संख्या 2112/1.03 साबिक नम्बर 1184 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा से एव हाल आराजी नम्बर 2116/0.24, 2117/0.69 2118/0.52 साबिक नम्बर 1191 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा से बने हुये है यह है कि साबिक नम्बर 1183 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 1190 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

184 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 1191 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा वादीगण की खरीद शुद्दा आराजी है जिसे उन्होने आराजी पूर्व खातेदारो से रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा खरीद की थी। वादीगण द्वारा आराजी को खरीदने के बाद 20 बीघा 9 बिस्वा पर कब्जा कर लिया और अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लिया। वादीगण खरीदने के बाद से सन् 1991 से इस आराजी पर बेरोकटोक काबिज चले आ रहे है। और यह चारो नम्बर 1183, 1184, 1190, 1191 मौके पर एक ही जगह है जिन्हे साबिक नक्शे में भी एक जगह बताया गया है। यह है कि उपरोक्त साबिक नम्बर 1183, 1184, 1190, 1191 जिसका रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा है इन साबिक नम्बरों के हाल बन्दोबस्त में जो हाल नम्बर 2090/0.45, 2110/0.56, 2112/1.03, 2113/0.73, 2115/0.52, 2116/0.24, 2117/0.69, 2118/0.52, 2119/0.02, कुल किता 9 कुल रकबा 4.76 है0 जो वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर कायम किये गये है इस प्रकार हल बन्दोबस्त में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी का रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कम दर्ज हो गया है। जबकि वादीगण आज भी 20 बीघा 9 बिस्वा आराजी पर बदस्तूर काबिज काश्त कर रहे है यह है कि हाल आराजी के खसरा संख्या 2114/0.31 जो कि मौके पर वादीगण के कब्जे में है। गलत रूप से हल बन्दोबस्त में असल प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया है। जबकि यह आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के नाम दर्ज होना चाहिये था। हाल आराजी खसरा संख्या 2114/0.31 को साबिक नम्बर 1150 रकबा 8 बिस्वा में बनना बताया गया है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है साबिक नम्बर 1183, 1184, 1190, 1191 जिसका रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा है इन साबिक नम्बरों के हाल बन्दोबस्त में जो हाल नम्बर 2090/0.45, 2110/0.56, 2112/1.03, 2113/0.73, 2115/0.52, 2116/0.24, 2117/0.69, 2118/0.52, 2119/0.02, कुल किता 9 कुल रकबा 4.76 है0 जो वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर कायम किये गये है इस प्रकार हल बन्दोबस्त में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी का रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कम दर्ज हो गया है। जबकि वादीगण आज भी 20 बीघा 9 बिस्वा आराजी पर बदस्तूर काबिज काश्त कर रहे है यह है कि हाल आराजी के खसरा संख्या 2114/0.31 जो कि मौके पर वादीगण के कब्जे में है। राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः–

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 आराजी खसरा संख्या 2090/0.45, 2110/0.56, 2112/1.03, 2113/0.73, 2115/0.52, 2116/0.24, 2117/0.69, 2118/0.52, 2119/0.02, जो वाके ग्राम ,बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर में अवस्थित है। व हाल आराजी खसरा संख्या 2114/0.31 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसीलल टहला जिला अवलर को असल प्रतिवादी संख्या 1 के गलत इन्द्राज से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम सही इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार टहला इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज यह निर्णय दिनांक 13.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-
सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)

वाद संख्या :– 01/42/2012 ऑनलाईन नम्बरः–2012/00480 प्रवेश तिथिः–27.02.2012

1. सीताराम राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
2. शिवराम राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
3. हनुमान राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
4. बच्चूराम राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
5. नानगी बेवा आनन्दीलाल राणा जाति राणा उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
6. राकेश राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
7. मोहनलाल राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
8. भौमाराम राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
9. रोशन राणा पुत्र रामपाल राणा जाति राणा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. चन्दर सिंह अहीर पुत्र मौजीराम अहीर जाति अहीर निवासी ग्राम गोलाकाबास तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
2. मांगी देवी पुत्री रामपाल राणा उम्र 36 वर्ष निवासी डेरा तहसील थानागाजी जिला अलवर।परभाती देवी पुत्री श्रवण जाति मीना
3. उगन्ती देवी पूत्री आनन्दीलाल राणा पत्नी सुनील राणा उम्र 25 वर्ष निवासी जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा रा0का0अधि0 1955 अन्तर्गत धारा 88, 188

उपस्थितः– श्री मनीष गुप्ता एड0–वादी

दिनांक 13.01.2025

–:पर्चा डिक्री:–

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 आराजी खसरा संख्या 2090/0.45, 2110/0.56, 2112/1.03, 2113/0.73, 2115/0.52, 2116/0.24, 2117/0.69, 2118/0.52, 2119/0.02, जो वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर में अवस्थित है। व हाल आराजी खसरा संख्या 2114/0.31 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर को असल प्रतिवादी संख्या 1 के गलत इन्द्राज से वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम सही इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार टहला इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आज दिनांक 13.01.2025 को पर्चा डिक्री तैयार की गई।

SSC

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते